प्रस्तावना

यह रिपोर्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है।

इस रिपोर्ट में 'मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम' (एमईआईएस) और 'सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम' (एसईआईएस) पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस रिपोर्ट में उल्लिखित उदाहरण वे हैं जो 2018-19 की अवधि के दौरान की गई जांच लेखापरीक्षा के दौरान सामने आए और अप्रैल 2015 से अक्टूबर 2018 की अवधि के संव्यवहारों को कवर करते हैं।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निष्पादन लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में वित्त मंत्रालय (एमओएफ), राजस्व विभाग (डीओआर), वाणिज्य विभाग और इसके क्षेत्र संरचनाओं से प्राप्त सहयोग के लिए लेखापरीक्षा धन्यवाद करता है।